उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR
बहादराबाद, हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0–बहादराबाद (हरिद्वार) 249402
P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402
E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 472/प्रशासन/2020 दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में ऑफलाईन पठन–पाठन आरम्भ किये जाने के संदर्भ में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शासन के पत्र संख्या–739/XLII–1/2020–03(07) 2020, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 का संज्ञान लिया गया। जिन विभागों में प्रैक्टिकल की कक्षायें सम्पादित की जानी है वह ऑफलाईन प्रैक्टिकल कक्षायें संचालित किये जाने की कार्यवाही भी करें। बैठक में निर्णय लिया गया है कि शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षो/महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अपेक्षित है कि वह इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराते हुए अपने–अपने विभाग की कक्षाओं का संचालन करेंगे। कोविड–19 के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न की जाय।

बैठक में लिए गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक विश्वविद्यालय से अपने–अपने विभाग से ही ऑनलाईन कक्षायें भी सम्पादित करेंगे। ऑनलाईन सम्पादित की जाने वाली कक्षाओं का रिकार्ड भी संरक्षित करेंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार प्रत्येक विभागाध्यक्ष नेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डोंगल क्रय का प्रस्ताव देगे एवं जिन शिक्षकों के कम्प्यूटर में कैमरे की व्यवस्था नहीं है वह भी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनके कम्प्यूटर में कैमरे लगवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषितः–

01. मुख्य वित्त अधिकारी।
02. उपकुलसचिव।
03. निजी सचिव, मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
04. विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
05. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक।
06. विश्वविद्यालय वेबसाईट।
07. गार्ड फाईल

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

संख्या–739 / XLII–1 / 2020–03(07)2020

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

2. निदेशक,
संस्कृत शिक्षा निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 15 दिसम्बर, 2020

विषयः—कोविड–19 के कारण प्रभावित पठन–पाठन को ऑफलाईन मोड में पुनः संचालित करने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राज्य के समस्त संस्कृत महाविद्यालयों को दिनांक 15.12.2020 से भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड–19 के प्रसार के दृष्टिगत सुरक्षा कारणों से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राज्य के समस्त संस्कृत महाविद्यालयों में ऑनलाईन मोड में पठन–पाठन कार्य किया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या– F.No.16-12/2020-U1(A) (Part-2), दिनांक 02 नवम्बर, 2020 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के पत्रांक संख्या– F.O.14-8/2020(CPP-II) दिनांक 05.11.2020 द्वारा राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पुनः पठन–पाठन हेतु खोले जाने के सन्दर्भ में गाईड लाईन्स निर्गत की गयी है।

2. उक्त के क्रम में सत्र को नियमित करने तथा छात्रहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कोविड–19 के कारण प्रभावित पठन–पाठन को ऑफलाईन मोड में पुनः संचालित करने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राज्य के समस्त संस्कृत महाविद्यालयों दिनांक 15.12.2020 से भौतिक रूप से खोले जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

(1) उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राज्य के समस्त संस्कृत महाविद्यालयों को ऑफलाईन पठन/पाठन हेतु खोले जाने पर छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्ध में अभिभावकों की सहमति की अनिवार्यता है। संस्कृत विश्वविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा अपनी कार्य योजना से अभिभावकों को अवगत कराया जाना होगा, यदि अभिभावक स्वेच्छा से छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय भेजने हेतु सहमत होते हैं, तो अपनी सहमति संस्कृत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खुलने की तिथि से पूर्व, संचार माध्यमों यथा ई–मेल इत्यादि के माध्यम से अथवा महाविद्यालय खुलने की तिथि को भौतिक रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(2) प्रथम सेमेस्टर हेतु (शास्त्री (स्नातक)/आचार्य (स्नातकोत्तर) दोनों के लिए) जिन विषयों में Theory एवं Practical दोनों पढ़ाये जाने अनिवार्य हैं, उन्हीं में ही ऑफलाईन कक्षाएं प्रारम्भ की जायेंगी।

(3) अन्तिम सेमेस्टर की कक्षाएं (जिनमें Practical अनिवार्य है) भी इसी प्रकार से प्रारम्भ होंगी।

(4) प्रथम सेमेस्टर अथवा अन्तिम सेमेस्टर की उपरोक्त कक्षाओं के संचालन हेतु निम्नानुसार त्रिस्तरीय मानकों में से कम से कम एक (At least one) का अनुपालन होगा:-

(क) कक्षाओं का संचालन पालियों में किया जायेगा।

(ख) Sections बढ़ाये जायेंगे।

(ग) Alternate Days में कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।

उक्त तीनों मानकों में से संस्थान अपनी सुविधानुसार विकल्पों को चयन कर सकते हैं. विशेष दशाओं में संस्थान द्वारा अपने स्तर से उपरोक्त तीनों मानकों को चयन भी किया जा सकता है।

(5) जिन विषयों में केवल Theory पढ़ाई जाती है अर्थात Prectical की अनिवार्यता नहीं है, वहाँ ऑनलाईन मोड से ही पठन-पाठन पूर्व की भाँति किया जाता रहेगा। जिन विषयों में Theory एवं Prectical दोनों पढ़ाये जाते हैं, उनमें ऑनलाईन के माध्यम से Theory पढ़ाई जायेगी। Practical के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्थान Batches बनाकर Prectical कक्षाएं संचालित करेंगे जिससे कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत सुरक्षा मानकों यथा सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। प्रथम एवं अंतिम सेमेस्टर में सफलता पूर्वक उक्त व्यवस्था करने के उपरान्त भी यदि शैक्षिक संस्थान के पास संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता हो, तो वे उक्त Practical कक्षाओं का संचालन द्वितीय तथा तृतीय सेमेस्टर के लिए भी इसी प्रकार से कर सकते हैं।

(6) Practical Subject से सम्बन्धित जो कक्षाएं ऑफलाईन मोड में संचालित नहीं होंगी, वहाँ Virtual lab का प्रयोग किया जायेगा।

(7) राज्य के बाहर से आने वाले छात्रों (छात्रावास में रहने वाले छात्रों सहित) तथा Day Scholars के लिए भी कोविड-19 (RT-PCR) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।

(8) उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, स्टाफ आदि के कोविड-19 Positive पाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) शैक्षिक संस्थान द्वारा दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पूर्व की भाँति दी जाती रहेगी, प्रतिबन्ध होगा कि वे इस सम्बन्ध में कोविड-19 से सम्बन्धित गाईडलाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(10) उक्त समस्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त शिक्षण संस्थानों में पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित करते हुए तत्सम्बन्धी व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा। बड़े जनपदों में दो नोडल अधिकारी भी नामित किये जा सकते हैं।

(11) भौतिक रूप से कक्षायें पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति के लिये अपेक्षित तयारी हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, यू0जी0सी0 तथा राज्य के आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित निर्गत गाईडलाईंस को मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप में लागू करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(क) संस्कृत महाविद्यालय/संस्कृत विश्वविद्यालय को खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सैनेटाईज किया जाएगा, यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से की जानी जागी।

(ख) प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आना होगा।

(ग) महाविद्यालय भवन के प्रवेश द्वार पर ही सैनेटाइजेशन और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश, प्रत्येक कर्मचारी/विद्यार्थी की जाँच की जानी चाहिए। किसी भी शिक्षक/कर्मचारी/विद्यार्थी को खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण होने पर प्राथमिक उपचार देते हुए वापस घर भेज दिया जायगा।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।

(च) छात्र/छात्राओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महाविद्यालय में शिक्षण कार्य की समय-सारिणी इस प्रकार बनायी जायगी कि अलग-अलग समय पर विद्यार्थी संस्कृत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकें।

(छ) छात्र-पठन ऑनलाईन मोड में यथा सम्भव continue किया जायगा अर्थात online कक्षाओं के संचालन को प्राथमिकता दी जायगी। विद्यार्थियों से सुझाव लेकर यदि विद्यार्थी मांग करते हैं तो ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था जारी रखी जायगी।

(ज) संस्कृत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई/एन०सी०सी० यूनिट कोविड-19 के फैलाव और रोकथाम के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जायगा।

(झ) संस्कृत महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय को पुनः खोले जाने की व्यवस्था का सतत अनुश्रवण और अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्यवाही की प्रगति उपलब्ध कराई जानी होगी। प्रत्येक जनपद हेतु नामित उच्च शिक्षा के नोडल अधिकारी भी जिलाधिकारी से इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश लेते रहेंगे।

(ट) उपरोक्तानुसार महाविद्यालय खोलने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने वाले संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र-छात्राओं के विरुद्ध महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही की जानी होगी।

3. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के सन्दर्भ में समय-समय पर जारी सभी Public Health Awareness से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

4. संस्कृत विश्वविद्यालय तथा संस्कृत महाविद्यालयों को पुनः खोलने से पहले निम्नवत आवश्यक शर्तों, दिशा-निर्देशों तथा उपायों को सुनिश्चित किया जाए-

(क) संस्कृत विश्वविद्यालय एवं सभी संस्कृत महाविद्यालयों को कन्टेनमेंट जोन के बाहर होने पर ही खोलने की अनुमति दी जाय तथा ऐसे सभी संस्थानों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा छात्रों को विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालों में प्रवेश न दिया जाय तथा उनसे मिलने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाय।

(ख) संस्कृत विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग तथा छात्र-छात्राओं को 'आरोग्य सेतु' एप को अपने-अपने मोबाईल में डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।

(ग) संस्कृत विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को भौतिक रूप से खोलने हेतु निम्नलिखित निदेशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय-

(1) सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 'कन्टेनमेंट जोन' के बाहर जिला प्रशासन एवं Department of Medical Health & Family welfare द्वारा जारी SOP/दिशा-निर्देश में श्रेणीबद्ध तरीके से खोले जाए।

(2) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय चरणबद्ध रूप में इस प्रकार खोले जाए कि Social Distancing, Face Mask तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग सुनिश्चित हो सके।

(3) 50 प्रतिशत से अधिक किसी भी एक समय में या एक स्थान पर उपस्थित नहीं होंगे।

(4) संकाय सदस्यों से पूर्व में किये गये अनुरोध पर ही छात्र–छात्राएं परामर्श ले सकते हैं।

(5) सभी संस्थान भारतीय अथवा विदेशी संस्थागत छात्र–छात्राओं को ऑनलाईन पठन–पाठन सामग्री (e-resources) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) (1) सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सलाहकारों को समय–समय पर छात्र–छात्राओं को उनके मानसिक, शारीरिक सम्बन्धित विषयों पर चर्चा करनी आवश्यक होगी।

(2) संस्थानों को स्वयं या सरकारी अस्पतालों या संयुक्त केन्द्रों से समन्वय कर कोविड–19 से सम्बन्धित रोग सूचक लोगों को सुविधा / व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।

(3) कोविड–19 के दृष्टिगत संस्थानों को बाहरी व्यक्तियों, शैक्षिक भ्रमण अथवा मैदानी कार्यों से दूर रहना होगा।

(4) पाठ्यक्रम से इतर किसी भी प्रकार की गतिविधियां संस्थान में वर्जित होगी।

(ङ) प्रत्येक संस्थान को कोविड–19 के दृष्टिगत एक सतर्क कार्ययोजना बनाना सुनिश्चित करना होगा।

(च) सभी विभागों एवं छात्र–छात्राओं को चरणबद्ध रूप से Batches में बुलाया जाय।

(छ) दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र वर्ग को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाय।

(ज) किताबों का आदान–प्रदान एवं अन्य पठन–पाठन सामग्री को हतोत्साहित किया जाय।

(झ) सभी शिक्षक वर्ग, अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग तथा छात्र वर्ग "आई0कार्ड" धारित करेंगे।

(ञ) आवश्यकता पड़ने पर Teaching hours को बढ़ाया जाय।

(ट) शिक्षक वर्ग को ऑनलाईन टीचिंग, लर्निंग का अभ्यास कराया जाय।

(ठ) अत्यन्त आवश्यक होने पर आगुन्तकों का सम्पर्क विवरण एवं संस्थान में मिलने वाले अधिकारी / कर्मचारी का अभिलेख रखा जाय।

(ड) संस्थानों के सभी प्रवेश द्वार, निकास द्वारों पर कोविड–19 के दृष्टिगत सभी प्रकार के सुरक्षा उपायों को कड़ाई से पालन तथा निगरानी करना सुनिश्चित किया जाय।

(ढ) निम्नानुसार भारत सरकार के द्वारा जारी किये गये लिंक पर दी गई गाईड लाइन्स का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

(1)https://cpcb.nic.in/uploads/Project/Bio-Medical-Waste/BMW-GUIDELINES-COVID 1.pdf).

(2)https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesonyogainstitutesandgymnasiums 03082020.pdf.

(3) https://www.mohfw.gov.in/

(4) https://www.youtube.com/watch?v=uHB3WjsLJ8s&feature+youtu.be

(5) https://www.mohfw.gov.in/pdf/MindigourmindsduringCoronaeditedat.pdf

(6) https://www.youtube.com/watch?v+iukhtSehp24&feature+youtu.be

(7) Web page named "Manodarpan"-created on the Ministry of Education website to providepschological support for mental healt & well being.

behavioral health:Psycho-Social toll free helpine-08046110007

5. संस्थाध्यक्षों की भूमिका:–

(क) कुलपति / प्राचार्यों को कोविड–19 के दृष्टिगत सरकारी निर्देशों एवं आदेशों में दिये गये SOPs का पालन करना।

(ख) अपने संस्थान हेतु प्रशासनिक एवं अकादमिक एवं परीक्षा स्तर पर विस्तृत कार्य योजना बनाना।

(ग) आस–पास के स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालों, एन0जी0ओ0 एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कोविड–19 के दृष्टिगत सहायता एवं मदद प्राप्त करना।

(घ) कोविड–19 पैंडामिक के अन्तर्गत अपने–अपने संस्थान में एक टास्क ग्रुप का निर्माण करना, जिसके सदस्य शिक्षक/कर्मचारी/छात्र/समाज सेवक/एन0जी0ओ0/स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अधिकारी होंगे।

6. ऑफलाईन मोड में पठन–पाठन संचालित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, यू0जी0सी0 गाईडलाईन्स एवं राज्य के आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत गाईडलाईन्स की सीमा तक ही ऑफलाईन मोडमें पठन–पाठन संचालित किया जा सकता है अर्थात् किसी भी दशा में उपरोक्त गाईडलाईन्स/दिशा–निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

7. संस्कृत विश्वविद्यालय/अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों को ऑफलाईन मोड में पठन–पाठन हेतु खोले जाने के लिए शिक्षण संस्थान की परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धित प्राचार्य, प्रबन्धन समिति तथा कुलपति अधिकृत किये जाते हैं।

8. अतः उपरोक्तानुसार निर्गत की जा रही गाईड–लाईन्स मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप में हैं, यथापि यदि कोई संस्थान प्रत्येक सेमेस्टर की समस्त कक्षाओं को online ही संचालित किए जाने का इच्छुक/सक्षम है, तो वे अपने स्तर से इस संबंध में गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिए जाने हेतु स्वतंत्र होंगे।

भवदीय,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– (1)/XLII–1/2020–03(07)2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्डशासन।
4. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
उप सचिव।